(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2021

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्द्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

i) क्रम संख्या 448छ के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“ निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

(i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

(ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या

(iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;

ii) क्रम संख्या 448ज के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“ निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

(i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

(ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या

(iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;

iii) क्रम संख्या 485क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“ निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

(i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

(ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या

(iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;

iv) क्रम संख्या 490 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

(i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

(ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या

(iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं”;

v) क्रम संख्या 494 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, “9028 90 10, 9030 31 00, 9030 90 10” प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

vi) क्रम संख्या 494 और उससे संबंधित प्रिवष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“494क.	9032 89	निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं- मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं; मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं	7.5%	-	-”;

vii) क्रम संख्या 495 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “15%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

viii) क्रम संख्या 516ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

(i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

(ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या

(iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं";

ix) क्रम संख्या 528 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

x) क्रम संख्या 528क के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

xi) क्रम संख्या 528क और उससे संबंधित प्रिवष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"528कक.	8504 40 30	विद्युत चालित वाहनों या हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले बैट्री चार्जर	15%	-	9";

xii) क्रम संख्या 529 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

xiii) क्रम संख्या 563 के समक्ष, कॉलम (3) में, " या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अपेक्षित माल" शब्दों के पश्चात, ", क्रम संख्या 564क, 564ख या 564ग के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न" संख्या और शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

xiv) क्रम संख्या 563क के समक्ष, कॉलम (3) में, " सभी माल" शब्दों के पश्चात, ", क्रम संख्या 564क, 564ख या 564ग के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न" संख्या और शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

xv) क्रम संख्या 564 के समक्ष, कॉलम (3) में, "पुर्जे और उपसाधन " के पश्चात ", जो कि क्रम संख्या 564क, 564ख या 564ग के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न हो " संख्या और शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

xvi) क्रम संख्या 564 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"564क.	9018	एक्स-रे मशीनों (शीर्षक 9022) के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले स्टेटिक यूजर इंटरफेस	5%	-	9

564ख	9022	एक्स-रे मशीनों (शीर्षक 9022) के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुएं, यथा:- (i) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल; (ii) वर्टिकल बक्की; (iii) एक्स-रे ट्यूब सस्पेंशन; हाई फ्रिक्वेन्सी एक्स-रे जनरेटर (>25KHz, <500 mA)	10%	-	9
564ग	9022	एक्स-रे मशीनों (शीर्षक 9022) के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुएं, यथा:- (i) एक्स-रे ग्रिड; (ii) मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिश	5%	-	9";

xvii) क्रम संख्या 581ख के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"निम्नलिखित में प्रयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं-

(i) मोटर वाहन, जो कि शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आते हैं;

(ii) मोटर कारें, जो कि शीर्षक 8703 के अंतर्गत आती हैं; या

(iii) मोटर साइकिलें, जो कि शीर्षक 8711 के अंतर्गत आती हैं";

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फाइल संख्या 354/75/2020- टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 60 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।